छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्र. 897 /एफ–7–3/31/एस–2/2025, अटल नगर, दिनांक 27/02/2025

प्रति,

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– **रायगढ़ जिले के विकासखण्ड–रायगढ़ अंतर्गत रायगढ़ शहर के केलो नदी पर जिंदल पुल के अनुप्रवाह दिशा में स्थित जेल पारा एनीकट के जलद्वारों का जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :– प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.–3168/बो.प्र./AA/TS/मि.ह.बांगो/2024/21, दि.01.01.2025.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा रायगढ़ जिले के विकासखण्ड–रायगढ़ अंतर्गत रायगढ़ शहर के केलो नदी पर जिंदल पुल के अनुप्रवाह दिशा में स्थित जेल पारा एनीकट के जलद्वारों का जीर्णोद्धार कार्य लागत राशि **रु. 65.68 लाख (रुपये पैसठ लाख अड़सठ हजार)** मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक–367/सी–28269/11/वित्त/नियम/चार, रायपुर दिनांक 11.11.2011 द्वारा जारी वित्त निर्देश 50/2011 में निहित वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग–2 के अनुक्रमांक–88 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करते हुये निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करता है :–

कार्य का संपादन यह सुनिश्चित कर लेने के बाद प्रारंभ किया जावे, कि

(क) संबंधित निर्माण कार्य नई सेवा साधन के मानदंडों के अंतर्गत नहीं आता है।
(ख) किसी भी मामले में ऐसे निर्माण की संशोधित लागत 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(ग) यह प्रत्यायोजन केवल एक पूर्ण कार्य पर लागू होगा, उसके किसी अंश पर नहीं।

2. योजना के समुचित संधारण एवं संचालन हेतु जलद्वारों का जीर्णोद्धार कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष 45–2702–03–101–0000–8967–24–006–V के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
7. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
8. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गोरेलाल भूआर्य) 27/2/2025
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

G:\Dewangan sir folder\S Folder\Letter\Adesh Letter_Folder\Adesh final AA 2023.docx

पृ.क्र. 898 / एफ–7–3 / 31 / एस–2 / 2025, अटल नगर, दिनांक 27/ 02 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर–अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, वि./यां. जल संसाधन मंडल, सकरी, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, वि./यां मिनीमाता बांगो संभाग माचाडोली, मुख्यालय, कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव 27/2/2025

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
28 . . .
SE (MIS)
कक्ष..........

G:\Dewangan sir folder\S Folder\Letter\Adesh Letter Folder\Adesh final AA 2023.docx